**<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे)/ अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 11, फिरोजाबाद।</u>**

विशेष सत्र परीक्षण संख्या– 237/2014

फौजदारी प्रकीर्ण सं०– 605/2022

(UPFD010035042022)

भोला व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार।

अन्तर्गत धारा– 395, 412 भा०दं०सं०

थाना– जी०आर०पी० फिरोजाबाद,

जिला– फिरोजाबाद।

अ०सं०– 52/2013

**<u>दिनांक:–30–04–2022</u>**

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण भोला व छोटा द्वारा विशेष सत्र परीक्षण संख्या 237/2014 धारा 395, 412 भा०दं०सं० थाना जी०आर०पी० फिरोजाबाद जिला फिरोजाबाद में गैर जमानती वारण्ट निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थनापत्र में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना।

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 12–04–2022 को गैर–जमानती वारण्ट जारी किये जाने का आदेश पारित किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कथन है कि उपरोक्त मुकदमा वास्ते हाजिरी दिनांक 12–04–2022 नियत थी। उक्त दिनांक को प्रार्थीगण/अभियुक्तगण बीमार होने के कारण माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। भविष्य में प्रत्येक तारीख पर न्यायालय हाजिर आते रहेंगे। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा दो लाख रूपये (2,00,000/–रूपये) का स्वबन्धपत्र दाखिल करने पर उनके विरूद्ध जारी गैर–जमानती वारण्ट का आदेश निरस्त किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०)/

अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–11

फिरोजाबाद।